PROPOSED LAY OUT PLAN ON KHASRA NO. 347/2, OF VILLAGE BANAR AT JODHPUR

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	8570.44	59.02 %
PARK AREA	727.39	05.01 %
M.T./S.W.D. AREA	37.33	00.26 %
ROAD AREA	5184.58	35.71 %
TOTAL SCHEME AREA	14519.74	100.00 %
Area in Bigha. = 7 Bigha , 10 Biswha		

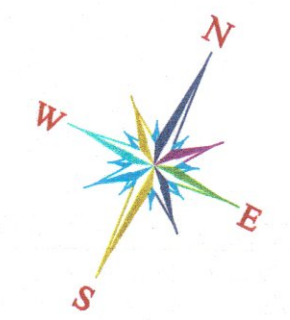

SCALE:-1"=50'

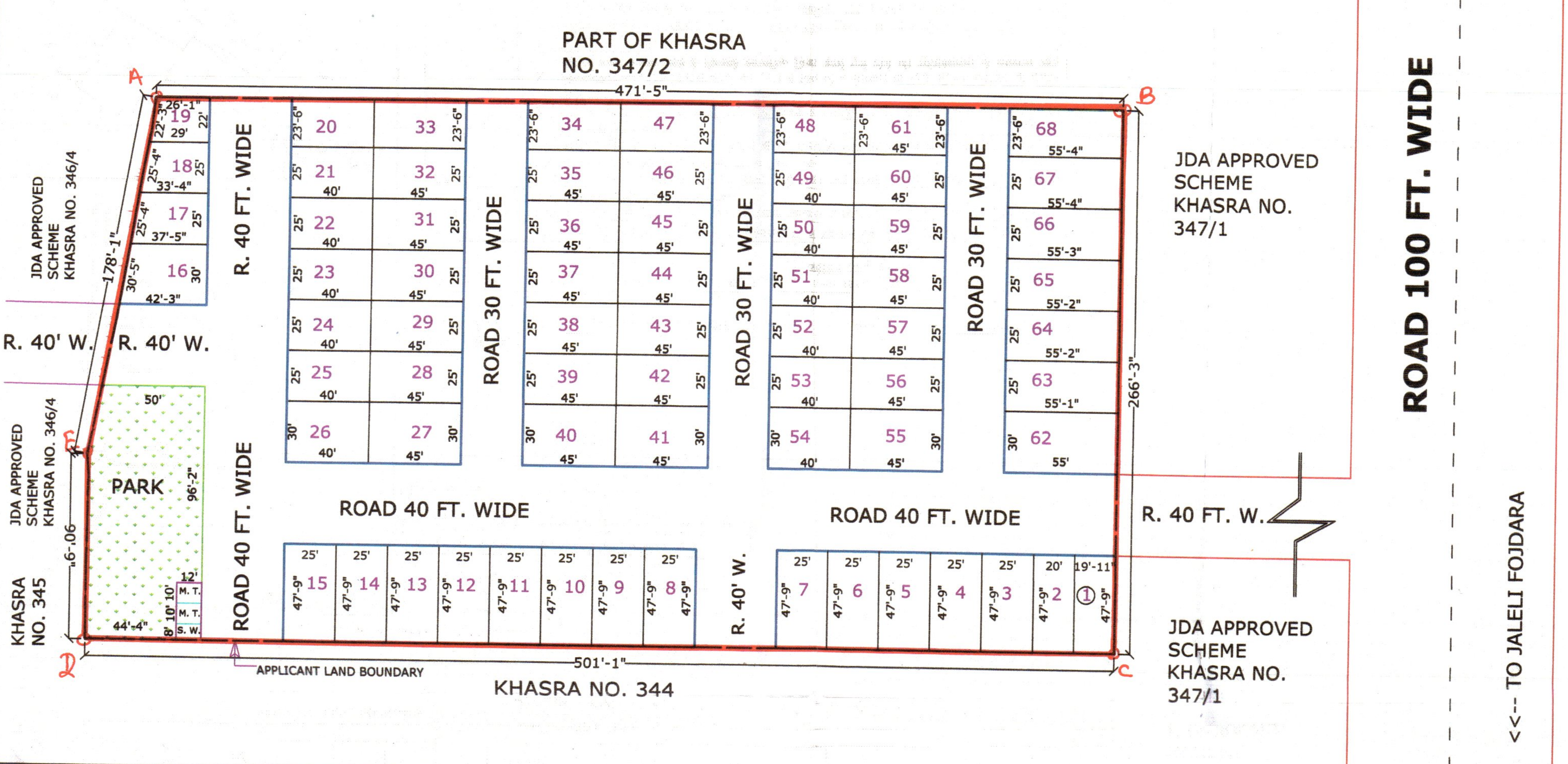

दिनांक 13.12.22 को सुपरइम्पोज प्लान से प्रस्तुत प्लान की सीमाओं का मिलान कर लाल स्याही से मार्क A से E किया गया।

2-03.23
दयाल सिंह राजपुरोहित
निरीक्षक (भू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

JDA/Dir(P)/Zone-1/06
05/04/2023

(भँवरलाल) (राणाराम) (मन्नाराम) (तेजाराम) (चुकी)

KEY-PLAN

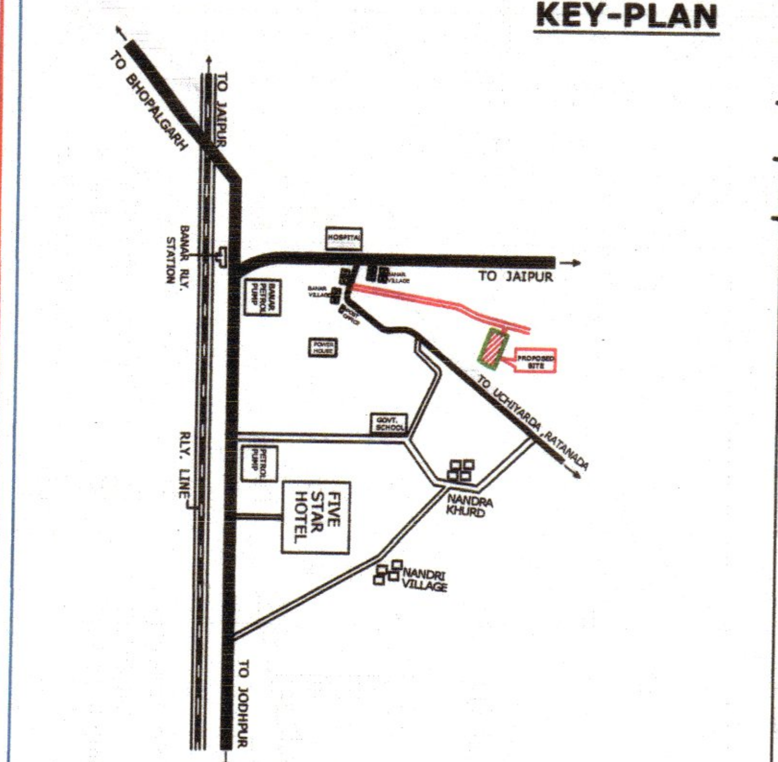

KHASRA MAP NOT TO SCALE

GOOGLE MAP KHASRA NO. 347/2 OF VILLAGE BANAR AT JODHPUR

एजेण्डा संख्या 08 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन–1	बनाड	347/2	रकबा 15.00.00 बीघा, आवेदित रकबा 07.10.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री भंवरलाल, श्री राणाराम, श्री मुन्नाराम, श्री तेजाराम, पि. श्री बुद्धाराम एवं श्रीमती चुकीदेवी बेवा बुद्धाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 347/2 रकबा रकबा 15.00.00 बीघा, आवेदित रकबा 07.10.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सूनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. भूखण्ड संख्या 16–19 के सामने प्रस्तावित सड़क का मार्गाधिकार 40' रखा जा कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।				

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

17/02/2023
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

05/04/23
उपायुक्त (जोन-1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

Kumawat Survey & Planning Services
66, Laxmi Vihar, Madhuban Housing Board, Jodhpur
Reg.No.C.T.P. RAJ./NAGAR MITRA 2021 (861) 670